संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / 2020 / कोविड–19 नियंत्रण / IDSP / 612

भोपाल, दिनांक 23 / 05 / 2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
5. अध्यक्ष, नर्सिंग होम ऐसोसिएशन, म.प्र।
6. अध्यक्ष, आई.एम.ए., म.प्र।
7. अध्यक्ष, टी.एन.ए.आई, म.प्र।

विषयः– शासकीय / निजी स्वास्थ्य कर्मियों, अन्य विभागीय मैदानी कर्मी व कोविड–19 के पुष्ट रोगियों के लक्षण रहित घरेलू संपर्को को **Hydroxychloroquine Chemoprophylaxis** का लाभ देने के संबंध में।

संदर्भः–
1. भारत शासन की पुनरीक्षित निर्देश **Advisory on the use of Hydroxychloroquine (HCQ) as prophylaxis for COVID-19 infection** दिनांक 22 / 05 / 2020
2. संचालनालयीन पत्र क्र. / अ.प्रशा / 2020 / 501 दिनांक 24 / 03 / 2020
3. भारत सरकार का निर्देश **Advisory on the use of Hydroxychloroquine for SARS-CoV-2 infection** दिनांक 23 / 03 / 2020
4. महानिदेशक आई.सी.एम.आर. का डी.ओ. पत्र क्र. **VIR/4/2020/ECD-1** दिनांक 22 / 03 / 2020

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 के संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा गठित National Task Force (NTF) द्वारा Hydroxychloroquine (HCQ) गोलियों का उपयोग, उच्च जोखिम व लक्षित समूह में SARS-CoV-2 के संक्रमण की रोकथाम हेतु करने के संबंध में पुर्नविचार किया गया है। इस हेतु नेशनल टास्क फोर्स द्वारा HCQ की इन–विट्रो परीक्षण में Antiviral efficacy तथा Pharmacovigilance Program of India के पास उपलब्ध डाटा का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तदानुसार, आई.सी.एम.आर ने यह पाया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रोफाईलैक्टिक डोज़ में HCQ का सेवन करने का स्थापित Dose-Response relationship है तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों में SARS-CoV-2 के लिए परीक्षण किये गये प्रकरणों में से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित हुई है। उक्त गोलियों के Safety Profile के डाटा एनालिसिस में भी स्वास्थ्य प्रदाताओं में उक्त गोलियों के सेवन के पश्चात अधिकांशतः मंद प्रतिकूल लक्षण ही प्रतिवेदित होना पाया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 / 03 / 2020 को पूर्व में जारी HCQ के सेवन संबंधी दिशा निर्देश को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया हैः–

1. पात्रता–

- समस्त लक्षण रहित शासकीय / निजी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड–19 के कंटेन्मेन्ट तथा उपचार कार्य कर रहें हो तथा कोविड अस्पताल / विकासखण्ड के नॉन कोविड क्षेत्र अथवा नॉन कोविड अस्पतालों में कार्यरत समस्त लक्षण रहित स्वास्थ्य कर्मी।
- कोविड–19 के नियंत्रण हेतु कंटेन्मेन्ट ज़ोन में कार्यरत समस्त लक्षण रहित मैदानी कर्मी यथा सर्वेलेन्स कर्मी / पैरामिलीटरी / पुलिस कर्मी।
- कोविड–19 के पुष्ट केस के समस्त लक्षण रहित घरेलु 'संपर्क'।

2. Exclusion/Contraindications-

- HCQ का उपयोग निम्न व्यक्तियों में वर्जित किया गया है– **(1) Retinopathy (2) Hypersensitivity to HCQ or 4-aminoquinoline compounds (3) G6PD deficiency (4) Pre-existing cardiomyopathy and cardiac rhythm disorders**

Scanned with CamScanner

- औषधि का उपयोग 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं है।
- कभी–कभार HCQ के सेवन करने के पश्चात Cardiovascular side effects जैसे Cardiomyopathy तथा Rhythm (heart rate) disorders होना पाया गया है, ऐसी परिस्थिति में औषधि का उपयोग निरन्तर न रखी जाये। यदाकदा, उक्त औषधि द्वारा दृष्टि में धुंधलापन होना भी प्रतिवेदित है परन्तु यह लक्षण प्रायः स्व सीमित होता है एवं दवा का सेवन नहीं करने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। <u>अतः, Hydroxychloroquine की गोलियाँ मैदानी कर्मियों व कोविड–19 के पुष्ट रोगी के घरेलु 'संपर्को' को चिकित्सकीय पर्यवेक्षण एवं सूचित सहमति (Informed Consent) प्राप्त करने के बाद ही दी जाये।</u>

3. डोज़–

S. No.	Category of personnel	Dosage
1	• Asymptomatic household contacts of laboratory confirmed cases	400 mg twice a day on Day 1, followed by 400 mg once weekly for next 3 weeks; to be taken with meals
2	• All asymptomatic healthcare workers involved in containment and treatment of COVID-19 and asymptomatic healthcare workers working in non-COVID hospitals/non-COVID areas of COVID hospitals/blocks • Asymptomatic frontline workers, such as surveillance workers deployed in containment zones and paramilitary/police personnel involved in COVID-19 related activities	400 mg twice a day on Day 1, followed by 400 mg once weekly for next 7 weeks; to be taken with meals

4. HCQ का 8 सप्ताह के बाद भी प्रोफाईलेक्टिक उपयोग–

- HCQ का प्रायः Rheumatoid Arthritis तथा Systemic Lupus Erythematosus के रोगियों में दैनिक 200–400 mg की खुराक में दीर्घकलीन उपयोग किया जाता है एवं रोगियों में इस हेतु अच्छी सहनशीलता होना प्रतिवेदित है।
- अतएव, वर्तमान उपलब्ध साक्ष्य एवं SARS-CoV-2 के नियंत्रण में HCQ के लाभकारी प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा पूर्व से ही HCQ का प्रोफाईलेक्टिक सेवन करने वाले व्यक्तियों हेतु अनुशंसित साप्ताहिक डोज़ को क्लीनिकल पैरामीटर व ई.सी.जी. की कड़ी निगरानी करते हुए, 8 सप्ताह के पश्चात भी दिए जाने की अनुशंसा की गई है।

5. निगरानी के लिए निम्न पैरामीटर हेतु विशेष सतर्कता बरती जाये–

- An ECG (with estimation of QT interval) <u>may be</u> done before prescribing HCQ prophylaxis.
- An ECG <u>should be</u> done in case any new cardiovascular symptoms occurs (e.g., palpitations, chest pain syncope) during the course of prophylaxis.
- An ECG (with estimation of QT interval) <u>may be</u> done in those who are already on HCQ prophylaxis before continuing it beyond 8 weeks.
- One ECG <u>should be</u> done anytime during the course of prophylaxis.

6. मुख्य बिन्दु– उपरोक्त अनुशंसाओं के संबंध में पुनः सचेत किया जाता है किः–

1) HCQ का वितरण सूचित सहमति प्राप्त करने के पश्चात कड़ी चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में ही दी जाये।
2) उपरोक्त औषधि केवल पंजीकृत चिकित्सक के प्रेसिक्रिप्शन पर ही दी जाये।
3) सेवन करने वाले व्यक्तियों को औषधि के प्रतिकूल लक्षण एवं संभावित दुष्प्रभावों (Potential Drug Interations) के संबंध में चिकित्सक द्वारा दवा प्रारम्भ करने के पूर्व ही आवश्यक समझाईश दी जाये। उक्त दवा के उपयोग संबंधी समस्त उल्लेखित Contraindications के संबंध में की गई अनुशंसाओं का कड़ाई से पालन किया जाये।

Scanned with CamScanner

4) HCQ का सेवन करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एवं अन्य मैदानी कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा साधन का उपयोग करने का परामर्श दी जाये। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों हेतु उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के संबंध में दिशा निर्देश भारत सरकार के https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquipment.pdf and https://www.mohfw.gov.in/pdf/UpdatedAdditionalguidelinesonrationaluseofPersonalProtectiveEquip mentsettingapproachforHealthfunctionariesworkinginnonCOVID19areas.pdf) पर उपलब्ध है।

5) औषधि प्रारम्भ करने के पूर्व ही, स्वास्थ्य कर्मी/अन्य मैदानी कर्मी/कोविड–19 के पुष्ट रोगी के घरेलू 'संपर्कों' को HCQ के सेवन उपरान्त किसी भी प्रतिकूल घटना अथवा दुष्प्रभाव होने पर अस्पताल, सर्वेलेन्स दल अथवा सुरक्षा ऐजेन्सी के चिकित्सक का परामर्श लेने संबंधी समझाईश दी जाये। HCQ के प्रतिकूल लक्षण की स्व प्रतिवेदन Pharmacovigilance Program of India (PvPI) helpline/app. पर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vinfotech.suspectedadversedrugreaction&hl=en_IN की जाये।

6) यदि प्रोफाईलेक्टिक सेवन के पश्चात भी किसी मैदानी कर्मी में बुखार, खांसी/सांस की कठिनाई के लक्षण उत्पन्न होते है तो, व्यक्ति की जाँच राष्ट्रीय दिशा निर्देश अनुसार सुनिश्चित की जाये एवं मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। कोविड–19 के उपरोक्त वर्णित लक्षणों के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य लक्षण उत्पन्न हों तो, व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय परामर्श हेतु प्रेसक्राईबिंग चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी जाये।

7) कोविड–19 के पुष्ट रोगी के समस्त लक्षण रहित 'संपर्कों' द्वारा प्रोफाईलेक्टिक थेरेपी के बावजूद होम क्वारंटाईन के राष्ट्रीय निर्देशों का पालन किया जाये।

8) भविष्य में, शोध एवं फार्माकोकाईनेटिक अध्ययन द्वारा स्थापित साक्ष्य आधारित तथ्यों के आधार पर उपरोक्त अनुशंसाओं में परिवर्तन किये जायेंगे।

9) HCQ का सेवन करने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुशंसित समस्त गतिविधियों जैसे बार–बार हाथों की धुलाई, रेस्पीरेटरी शिष्टाचार (खांसते–छींकते समय मुँह को ढांकना), 1 मीटर की न्यूनतम दूरी बनाये रखना तथा अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों का उपयोग करने संबंधी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाये।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि **Hydroxychloroquine (HCQ)** गोलियों के प्रोफाईलेक्टिक सेवन के कारण उपभोगकर्ता में झूठी सुरक्षा की भावना उत्पन्न न होना सुनिश्चित किया जाये।

(फैज अहमद किदवई)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/693 भोपाल, दिनांक 23/05/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

23/5
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner